"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (35).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-वाक-पांच (78) दिनांक 29-09-1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

अनुक्रमांक 4 के कॉलम (3) में प्रविष्टि क्रमांक (ii) का लोप किया जाय एवं प्रविष्टि क्रमांक (i) के पश्चात् निम्न प्रविष्टियां क्रमांक (ii) एवं (iii) जोड़ी जाय :—

| | | कॉलम (3) | कॉलम (5) |
|---|---|---|---|
| (ii) | | जब क्लिंकर के निर्माण में उपयोग किया जाय और ऐसा क्लिंकर :— | |
| | (अ) | राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर के रूप में भेजा जाय | 25 प्रतिशत |
| | (ब) | उपरोक्त "अ" में निर्दिष्ट परिस्थिति से भिन्न उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय किया जाय. | 10 प्रतिशत |
| (iii) | | प्रविष्टि क्रमांक (i) एवं (ii) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तु के निर्माण में उपयोग किया जाय. | 10 प्रतिशत |

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2010 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (35), दिनांक 31-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

Raipur, the 31st March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/29/2010/CT/V (35).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. A-5-14-97-CT-V (78) dated 29-09-1997:—

AMENDMENT

In Schedule to the said notification—

In S. No. 4, the entry No. (ii) against column No. (3) shall be omitted and after entry No. (i) the following entries No. (ii) and (iii) shall be inserted :—

| | Column (3) | Column (5) |
|---|---|---|
| (ii) | When used in manufacture of clinker and such clinker is:— | |
| | (a) sent out side the state by way of stock transfer | 25 percent |
| | (b) used, consumed or sold otherwise than in the circumstances specified in (a) above. | 10 percent |
| (iii) | When used in manufacture of goods other than those mentioned in entry No. (i) and (ii). | 10 percent |

2. This amendment shall come into force with effect from 01-04-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (36).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-68/2007/वाक/पांच (34)

दिनांक 24-05-2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

अ. क्र. 1 सिगरेट में कॉलम (3) में शब्दों "सम्पूर्ण कर" के स्थान पर शब्दों एवं अंक "अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 7.5 प्रतिशत हो जाए" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2010 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (36), दिनांक 31-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. राय,** उप-सचिव.

Raipur, the 31st March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/29/2010/CT/V (36).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10-68/2007/CT/V (34) dated 24-05-2007:—

AMENDMENT

In Schedule to the said notification—

In column (3) against S. No. 1 Cigarette in place of the words "Whole of tax" the words and figures "Partly so as to reduce the rate of tax to 7.5 percent" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01-04- 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.